मेरठ विकास प्राधिकरण

की

86वीं बोर्ड बैठक
दिनांक : 19—9—2008

का

कार्यवृत्त

मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 86वीं बैठक दिनांक 19—9—2008 का कार्यवृत्त।

मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 86वीं बैठक दिनांक 19—9—2008 को आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ के सभागार में आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ/अध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की अध्यक्षता में मध्यान्हः 12—00 बजे से 3—00 बजे तक सम्पन्न हुई। सर्वप्रथम उपाध्यक्ष द्वारा अध्यक्ष महोदय तथा माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया। बैठक में निम्नवत उपस्थिति रहीः—

1.	श्री राम नवल सिंह	उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ	उपाध्यक्ष
2.	श्रीमती कामिनी चौहान रतन	जिलाधिकारी, मेरठ	सदस्य
3	श्री संजय कृष्ण	नगर आयुक्त, नगर निगम मेरठ	सदस्य
4	डा0 अलका टण्डन	अपर जिलाधिकारी (भू0अ0), मेरठ।	विशेष आमंत्रित
5	श्री डी0सी0 गुप्ता	सहयुक्त नियोजक प्रतिनिधि—मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।	सदस्य
6.	श्री ए0के0 त्यागी	प्रतिनिधि—आयुक्त, एन0 सी0 आर0	सदस्य
7	श्री एच0एन0शुक्ला	अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, मेरठ प्रतिनिधि—प्रमुख सचिव वित्त।	सदस्य
8	श्री एस0बी0 तिवारी	अपर निदेशक, उद्योग मेरठ।	सदस्य
9	श्री राम अधार राम	उप महा प्रबन्धक, विद्युत नगरीय, मेरठ।	सदस्य
10	श्री उमेश मित्तल	अधीक्षण अभियंता, आवास एवं विकास परिषद, मेरठ।	सदस्य
11	श्री एस0के0 मित्तल	अधीक्षण अभियंता, जल निगम, मेरठ	सदस्य
12	श्री मनोज कुमार	सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ	संयोजक

प्राधिकरण की 85वी बोर्ड बैठक दिनांक 7–8–08 के कार्यवृत्त की पुष्टि

प्राधिकरण की 85वी बोर्ड बैठक दिनांक 7–8–08 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

प्राधिकरण की 76 वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या

(1) मद सं0–4

शताब्दीनगर, गंगानगर, रक्षापुरम आवासीय योजनाओं हेतु सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के निर्माण का प्रस्ताव–

समय–सारणी के अनुसार सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का निर्माण न होने पर, अनजस्टीफाइड विलम्ब के लिए ही पेनाल्टी लगाई जायेगी।

अनुपूरक प्रस्ताव 76 वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या

(1) मद सं0–3

डिफेन्स एन्कलेव एवं श्रद्धापुरी योजना के हस्तानान्तरण के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा यह निर्देश दिये गये कि नगर निगम एवं प्राधिकरण द्वारा दिये गये आगणनों की जाँच जिलाधिकारी, मेरठ द्वारा पी0डब्लु0डी0 से शीघ्र करा ली जाये और तद्नुसार प्राधिकरण द्वारा नगर निगम को धनराशि उपलब्ध करायी जाय।

प्राधिकरण की 79 वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या–

(1) मद सं0–9

जोनल प्लान बनाने हेतु निविदा शर्तो में संशोधन सम्बन्धित शासन को प्रेषित प्रस्ताव का शीघ्र अनुमोदन प्राप्त कर पुनः निविदायें आमंन्त्रित की जाये।

प्राधिकरण की 80वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या–

(1) मद सं0–4

लोहियानगर योजना में अलोकप्रिय भवनों को बल्क में विक्रय सम्बन्धी प्रस्ताव।

लोहियानगर आवासीय योजना में अलोकप्रिय भवनों को बल्क में विक्रय किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा यह निर्देश दिये गये कि लोहियानगर आवासीय योजना में आन्तरिक एवं वाह्य सुविधाओं का पूर्ण सृजन हो जाने के उपरान्त पुनः एक बार इन भवनों को ''जैसा है जहाँ है'' की स्थिति में विक्रय का प्रयास किया जाय।

प्राधिकरण की 81 वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या–

मद सं0–2

दिल्ली रोड पर निर्मित बरात घर को शमन किये जाने के सम्बन्ध में।

दिल्ली रोड पर निर्मित बरात घर को शमन किये जाने के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा यह निर्देश दिये गये कि संगत प्राविधानों के अन्तर्गत समस्त प्रकरणों में नोटिस दिये जायें। नोटिस देने के उपरान्त उनसे शमन मानचित्र जमा करने की अपेक्षा की जाये। अग्नि शमन, पार्किंग तथा अन्य व्यवस्थाओं/पैरामीटर का संज्ञान लेते हुए संगत नियमों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण के स्तर पर गठित समिति द्वारा परीक्षण करके प्राधिकरण बोर्ड की आगामी बैठक में प्रत्येक प्रकरण में विस्तृत आख्या/संस्तुति बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाये।

प्राधिकरण की 82 वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या

(1) मद सं0–1

वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय–व्यय का वित्तीय विश्लेषण राजस्व प्राप्तियां।

अवलोकन किया गया।

मद सं0–8

मै0 दीवान दौलतराम एजूकेशन फाउण्डेशन का शैक्षिक मानचित्र सं0 115/07 की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि मैसर्स दीवान दौलतराम एजूकेशन फाउण्डेशन के द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक शमन मानचित्र को उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 एवं धारा–32 के अन्तर्गत प्रदत्त विधिक प्राविधानों के अनुसार उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा निस्तारित किया जायेगा यह भी निर्णय लिया गया कि मेरठ बाईपास पर ग्रीनबैल्ट में अन्य अवैध निर्माणों को चिन्हित करके उनके विरूद्ध भी संगत विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाये। अवैध निर्माणों को चिन्हित करने का कार्य मुख्य नगर नियोजक, मेरठ विकास प्राधिकरण एवं सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, सम्भागीय नियोजन खण्ड, मेरठ के नेतृत्व में सम्पादित किया जायेगा।

प्राधिकरण की 83 वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या

अनुपूरक मद सं0 2

मेरठ विकास प्राधिकरण की शताब्दीनगर, वेदव्यासपुरी व लोहियानगर आवासीय योजनाओं के बीच–बीच में अर्जन से छूटे नम्बरान की भूमि को अर्जित करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

इस मद में अपर जिलाधिकारी भू0अ0 द्वारा यह अवगत कराया गया कि अर्जन से छूटे हुये खसरा नम्बरान की सम्बन्धित लेखपालों से सूचना मंगाई गयी है एक सप्ताह में खसरा नम्बरान का मिलान कर अवगत कराया जायेगा।

प्राधिकरण की 84 वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या

मद सं0–1

मेरठ बिकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत ऐसी सम्पत्ति जिनका आवंटन प्राधिकरण द्वारा किया जा चुका है और आवंटियों द्वारा देय धनराशि पूर्ण जमा कर दी गयी है परन्तु विवाद अथवा मौके पर सम्पत्ति उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण अन्य सम्पत्ति में परिवर्तन का प्रस्ताव।

तहसीलदार मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा सुस्पष्ट आख्या सचिव के माध्यम से उपाध्यक्ष को एक सप्ताह में प्रस्तुत की जाय। उपाध्यक्ष दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध पन्द्रह दिन के अन्दर यथापेक्षित कार्यवाही करेंगे।

प्राधिकरण की 85 वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या

मद सं0—1

मेरठ महायोजना में आरक्षित औद्योगिक भूमि में प्रदर्शन हेतु नोटिस बोर्ड लगाने के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि इसी प्रकार जनसामान्य को जागरूक करने हेतु मास्टर प्लान में निर्धारित ग्रीन बैल्ट में भी नोटिस बोर्ड पर खसरा नम्बरान प्रदर्शित किया जाये।

मद सं0—3

मेरठ विकास प्राधिकरण से स्वीकृत तलपट मानचित्रों के सापेक्ष वाह्य विकास शुल्क के सम्बन्ध में वस्तुपरक प्रस्ताव।

वाह्य विकास शुल्क के मद में संगत शासनादेश एवं विगत बोर्ड बैठकों में लिये गये निर्णयों का अध्ययन करके एक सुविचारित प्रस्ताव बोर्ड की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

मद सं0—4

प्राधिकरण की गंगानगर योजना के पाकेट एच में विद्युत सब स्टेशन से मिली हुई भूमि पर आवंटित भूखण्डों के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि 15 दिन में धनराशि वापस कर दी जाये।

अनुपूरक मद सं0—1

मेरठ विस्तारित क्षेत्र (दौराला क्षेत्र) महायोजना—2021 के सम्बन्ध में।

अवलोकन किया गया।

Mayh

दैनिक अखबारों में प्रकाशित समाचार शीर्षक निर्माण नम्बर–1 से 9 तक

उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार समस्त प्रकरणों का निस्तारण किया जाय।

प्राधिकरण की 86वीं बोर्ड बैठक में प्रस्तुत प्रस्ताव

मद सं0–1

मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के क्रियान्वयन हेतु प्राधिकरण की लोहियानगर योजना के पाकेट 'सी' में 10 एकड़ भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

मद सं0–2

प्राधिकरण की लोहियानगर योजना के पॉकेट एफ में कैंची/बुनकर उद्योग हेतु पंजीकृत शेष आवेदकों को भूखण्ड आवंटन के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा संयुक्त निदेशक, उद्योग को अवशेष आवेदकों के सम्बन्ध में सत्यापन रिर्पोट भेजने के निर्देश दिये गये। संयुक्त निदेशक, उद्योग द्वारा प्रस्तुत सत्यापन सूची के आधार पर आवंटन की कार्यवाही की जायेगी।

मद सं0–3

मेरठ विकास प्राधिकरण की लोहियानगर योजना के अन्तर्गत ऐसी सम्पत्ति जिसका आवंटन प्राधिकरण द्वारा किया जा चुका है, परन्तु उक्त सम्पत्ति मौके पर उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण अन्य सम्पत्ति में परिवर्तन का प्रस्ताव।

ऐसे समस्त प्रकरणों की जानकारी करके बोर्ड की आगामी बैठक में एक साथ प्रस्तुत किया जाये।

मद सं0–4

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की शताब्दी नगर आवासीय योजना से सम्बंधित जिला न्यायालय द्वारा निर्णित वादो व शताब्दीनगर, लोहियानगर एंव

वेदव्यासपुरी आदि योजनाओं से सम्बंधित धारा–28ए के वादों के निस्तारण के सम्बंध में।

प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

मद सं0–5

मेरठ विकास प्राधिकरण की लोहियानगर योजना में मौ0 यासीन को आवंटित भूखण्ड सं0 सी.पी.–41 के परिवर्तन का प्रस्ताव।

प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

मद सं0–6

मेरठ विकास प्राधिकरण की गंगानगर योजना के पॉकेट जी में आवंटित शैक्षिक भूखण्ड सं0 पी0एस0 से मिली हुई ग्रीनबेल्ट की भूमि शासनादेश में उल्लिखित व्यवस्थानुसार खेल के मैदान हेतु आवंटन के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

स्थल निरीक्षण एवं गहन परीक्षण करवाकर आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

मद सं0–7

मेरठ महानगर के समग्र पुनरूत्थान योजना तैयार कराने हेतु कन्सलटेन्ट की फीस दिये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अनुपूरक मद सं0 1

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा विशेष अनुमति से अनुमन्य उपयोगों की श्रेणी के अन्तर्गत प्रस्तुत मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विशेष अनुमति प्रदान की गयी।

अनुपूरक मद सं0 2

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा विशेष अनुमति से दिल्ली रोड पर बारात घर के मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विशेष अनुमति प्रदान की गयी।

अध्यक्ष महोदय एवं अन्य माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक का समापन किया गया।

(मनोज कुमार)
सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

(राम नवल सिंह)
उपाध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

(एल0 वेंकेटश्वर लू) 25/2/08
अध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

प्राधिकरण बोर्ड बैठक कार्यवृत्त

86	19.09.2008
87	11.02.2009
88	14.09.2009
89	17.11.2009
90	31.03.2010
91	03.06.2010
92	29.07.2010
93	13.12.2010
94	11.04.2011
95	06.06.2011
96	19.12.2011
97	25.04.2012
98	17.12.2012
99	26.04.2013
100	08.11.2013